UPBN010056722022

Presented on : 07-09-2022
Registered on : 07-09-2022
Decided on : 05-04-2023
Duration : 0 years, 6 months, 28 days

Criminal Revision/192/2022

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीः मौ० शारिक सिद्दीकी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सी०एन०आर०नम्बर–यू०पी०बी०एन०–०१–००५६७२–२०२२

फौजदारी निगरानी संख्या–१९२/२०२२

नत्थू सिंह पुत्र गिरवर सिंह निवासी ग्राम खजुरिया थाना बिसौली जिला–बदायूँ। ----------निगरानीकर्ता।

बनाम

१–सुखवीर पुत्र पानसिंह उम्र करीब ५० वर्ष निवासी ग्राम कन्दरपुर थाना इस्लामनगर, जिला बदायूँ।

२–बब्लू पुत्र नवाव सिंह उम्र ३० वर्ष निवासी ग्राम कन्दरपुर थाना इस्लामनगर, जिला–बदायूँ।

३–दो व्यक्ति अज्ञात नाम व पता अज्ञात

४–उत्तर–प्रदेश सरकार

---------- बिपक्षीगण ।

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–२ बदायूँ के आदेश दि० २०–०८–२०२२ से विक्षुब्ध होकर योजित की गयी है जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–१५७५२/२०२१ नत्थू सिंह बनाम सुखवीर आदि ४५२, ३०७, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० थाना इस्लामनगर जिला बदायूँ के प्रकरण को धारा–२०३ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किया गया है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय परिवाद संख्या–१५७५२/२०२१ के तथ्यों का ठीक प्रकार से पूर्ण अवलोकन नहीं किया गया है तथा समस्त तथ्यों का ठीक प्रकार से विचार में नही लिया गया है तथा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में श्रीमती मुन्नी देवी(वादिनी) व प्रदीप, सुखवीर के व्यान अन्तर्गत धारा–२०० व २०२ द०प्र०सं० में अंकित किये गये थे, जिन्होने घटनाका पूर्ण समर्थन किया था। थाना इस्लामनगर से धारा–२०२ द०प्र०सं० की रिपोर्ट थाना इस्लामनगर से मंगायी गयी व संलग्न मूल पत्रावली किया गया था। उसके उपरान्त भी निगरानीकर्ता का वाद खारिज किया गया। उपरोक्त आधारों पर विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश को अपास्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

बिपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। बिपक्षी संख्या–१ व २ की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथ बिपक्षी संख्या–४ की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस पुनरीक्षण के निस्तारण हेतु संक्षेप में सुसंगत इस प्रकार है कि अवर न्यायालय के समक्ष परिवादी के द्वारा परिवाद इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी की पत्नी मुन्नी देवी के नाम सास जविता देवी व शिशुपाल सिंह (सगे साले) ने सम्पूर्ण भाग का १/२ भाग विक्रय कर दिया जिस कारण तहेरा साला सुखवीर व सगे साले नवाव सिंह का लडका बबलू रंजिश मान बैठे। दिनांक २७–०९–२०२१ को रात्रि ८ बजे सुखवीर व बबलू परिवादी के गॉव खजुरिया आये और परिवादी के घर के अन्दर घुसकर सुखवीर के हाथ में लाइसैंसी बन्दूक थी और बबलू क हाथ में नााजयत असलाह थे इनको परिवादी, मुन्नीदेवी, प्रदीप, भाई शिशुपाल सामने आने पर पहचान लेंगे। सुखवीर ने लाइसैसी बन्दूक से मुन्नी देवी को जान से मारने की नीयत से फायर किया जो परिवादी ने डण्डा मारा जिससे निशाना चूक गया जिससे मुन्नी देवी बाल–बाल बच गयी। धमकी देते हुए चिल्लया कि मैने तुम्हारी बैनामा वाली जमीन पर नींव भरवा दी है अब तुम सबको जान से मार मारकर जीमन पर पूरा कब्जा कर लूॅगा, जो अभी तुम्हारे कब्जे में है उन्होने मुल्जिमान को अच्छी तरह देखा व पहचाना । शोर पर बहुत से लोगो के आने पर मुल्जिमान भाग गये।

अवर न्यायालय के समक्ष परिवादी ने परिवाद के समर्थन में अपना व्यान अंकित कराया गया है तथा अपने व्यानो के समर्थन में अपनी पत्नी मुन्नी व पुत्र प्रदीप को परीक्षित कराया गया है तथा प्रकरण मे धारा–२०२(१) द०प ०सं०के अन्तर्गत आख्या आहूत की गयी है जिसमें विवेचक द्वारा यह आख्या दी गयी है कि दोनों पक्षों के बीच फर्जी बैनामे को लेकर एक मुकदमा बिसौली अदालत मे चल रहा है। विवेचक ने न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को उद्घाटित किया है कि बिपक्षी बबलू की मुन्नी देवी सगी बुआ है। अवर न्यायालय ने घटना घटित होने के क्रम को नैसर्गिकता के आलोक में व विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गयी जॉच आख्या के सन्दर्भ में मामले को दृष्टिगत रखते हुए यह अभिमत प्रकट किया है कि परिवादी ५५ वर्ष का बूढा व्यक्ति है और एक व्यक्ति लाइसैंसी बन्दूक के फायर करने की स्थिति में उसके साथ पत्नी व बेटा भीर और चार–चार लोग जिनमें सेएक के हाथ में लाइसैंसी बन्दूक व दूसरे के हाथ में तमंचा है, किन्तु परिवादी लाठी मार देता है जिससे फायर मिस हो जाता है और लाइसैंसी बन्दूक धारक अन्य कोई फायर करने का प्रयास नहीं करता है। बबलू जिसकी सगी बुआ परिवादी की पत्नी मुन्नी देवी ह वह भी फायर नहीं करता है जबकि यह बहुत सम्भाव्य था कि चार–चार लोग जिनमें से दो शस्त्रधारी हो, परिवावदी तथा उसके परिवार को गम्भीर चोट कारित कर सकते थे,लेकिन ऐसा नहीं किया है। अवर न्यायालय ने यह भी मत प्रकट किया है कि शोर मचाया तो पड़ोस के लोग आ गये जिनमें सुखवीर पुत्र रघुवीर जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्ष्यी बताया गया है , को परीक्षित नहीं कराया गया है और चार–चार लोग दीवार फांदकर घर के अन्दर आते हैं, फायर करते और इस हद तक द्वंद होता है कि लाइसैंसी बन्दूक को डण्डा मारकर मिस कर दिया जाता है,आसपास का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं आता है। अवर न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **पैप्सी फूड लिमिटेड बनाम स्पेाल जुडीशियल मजिस्ट्रेट १९९८(५) एस०सी०सी० पृष्ठ–७४९** में

अभिनिर्धारित सिद्धान्त के प्रकाश में यह मत प्रकट किया गया है कि परिवाद केवल दवाव बनाने के दुराशय से व मनगढ़ंत आधारों पर प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित होता है और इसी आधार पर परिवाद को धारा–२०३ द०प्र०सं० में खण्डित किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मौखिक तर्को मे बलपूर्वक कथन किया है कि परिवादी का परिवाद धारा–२०० व २०२ द०प्र०सं० में कराये गये व्यानो से समर्थित है और ऐसे में अवर न्यायालय को प्रथम दृष्टया घटना कारित होना मानकर बिपक्षीगण को आहूत करना चाहिए जबकि प्रतिउत्तरदातागण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बैनामा को लेकर वाद दोनो पक्षों के बीच में चल रहा है और केवल झूठा दवाव बनाने के उद्देश्य से परिवाद योजित किया गया है जो खण्डित होने योग्य है।

१– आपराधिक मामलों मे आहूत के स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यस्था **पैप्सी फूड लिमिटेड बनाम स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट १९९८(५) एस०सी०सी० पृष्ठ–७४९** उपरोक्त मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया है कि अभियुक्त को आहूत करना एक गम्भीर विषय है और आपराधिक प्रक्रिया को गतिशील बिना किसी कारण के नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट केवल मूकदर्शक नहीं है और उसके समक्ष दो साक्षियों को परीक्षित किये जाने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आहूत करने के लिए विवश नहीं है उसे तथ्यों को देखना है और क्या प्रस्तावित अभियुक्तो के विरूद्ध कार्यवाही अग्रसारित करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में एक विधि व्यवस्था **देवता शंकर मिश्रा बनाम षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश,वाराणसी १९९८(३७) ए०सी०सी० पृष्ठ–११** प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह अभिमत प्रकट किया गया है कि धारा– २०३ द०प्र०सं० के स्तर पर न्यायालय को क्षेत्राधिकार सीमित है और इस स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य को ऐसे ढंग से नहीं देखना है कि वह वाद को अंतिम रूप से निस्तारित कर रहा है, बल्कि धारा–२०३ द०प्र०सं० के स्तर पर सम्पूर्ण साक्ष्य व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए यह देखना है कि क्या प्रज्ञावान व्यक्ति उस घटना को सही मानते हुए अभियुक्त को आहूत करेगा अथ्वा नही। यदि उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण को देखा जाये तो अवर न्यायालय का यह मत कि चार–चार व्यक्ति घर में घुसे जिसमें शस्त्रधारी व्यक्ति है और वह जान से मारने की नीयत से वार करते है जबकि परिवादी व उसकी पतनी घर में उपस्थित है और परिवादी केवल डण्डा मारता है और कोई चोट परिवादी या उसके परिवारीजन को नहीं आती है और केवल शोर मचाते हुए वापस अभियुक्तगण भाग जाते है,यह घटना अपने आप में आंतरिक रूप से सम्भाव्य प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त जॉच आख्या के प्रकाश में स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच में जमीन को लेकर फर्जी बैनामा की बावत वाद चल रहा है इस बात की पुष्टि स्वंय परिवादी के कथनों से होती है। परिवादी ने कहा है कि बैनामा करने के पश्चात तथाकथित अभियुक्तगण रंजिश मान बैठे। ऐसे में इस स्तर पर यह अधिसम्भाव्य है कि केवल बैनामा की रंजिश को रंगत देने के उद्देश्य से यह काल्पनिक व मनगढ़ंत घटना बनायी गयी हो। ऐसे में मेरे मत अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है और तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए वह औचित्यपूर्ण है जिसमें हस्तक्षेप करने की तनिक आवश्यकता नहीं है और निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने

योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता/परिवादी की निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दि० २०–०८–२०२२ पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की प्रति अवर न्यायालय को भेजी जावे।

दिनांकः०५–०४–२०२३ (मौ०शारिक सिद्दीकी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट
बदायूँ।
आई०डी०नं०–यू०पी०–०२६४५

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः०५–०४–२०२३ (मौ०शारिक सिद्दीकी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट
बदायूँ।
आई०डी०नं०–यू०पी०–०२६४५

Digitally signed by MOHD SHARIQ SIDDIQUE
Date: 2023.04.05 16:56:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court